(27)

48

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

[redacted]

(4)

क्रमांक:एफ11(4)आरएसडी/अ०जा०/43566-635 जयपुर, दिनांक: 13.11.2000

समस्त विभागाध्यक्ष,
....

समस्त जिला कलेक्टर,
....

विषय:-उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के तीसरे प्रतिवेदन में निहित निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में निवेदन है कि जाति/समुदाय संबंधी प्रमाणपत्रों के उचित सत्यापन हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के क्रम में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय प्रमाण पत्रों की जांच करना और भी आवश्यक है जहां जाति के झूठे प्रमाण पत्रों वाले उम्मीदवार वस्तुतः उपयुक्त उम्मीदवारों को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने तथा बाद में रोजगार प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर सकते है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रस्तुत जो भी प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सके, के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए तथा इस तरह के दावों को निर्धारित ढंग से उन स्थानों के जिला कलेक्टरों के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए जहां के वे तथा उनके परिवार सामान्यतः निवासी है, यदि किसी मामले विशेष में सत्यापन करने से यह पता चलता है कि उम्मीदवार का दावा झूठा है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए।

.... 2

[illegible] प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त प्रपत्र में निम्नानुसार एक पैरा शामिल किया जाना चाहिए:

"[illegible] नियुक्ति अनंतिम है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो, से संबंध होने का दावा झूठा है तो बिना किसी कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही जो की जा [illegible] सकती है, के बारे में पूर्वाग्रह के बिना सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।"

अतः जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में उल्लिखित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(sd)

विशिष्ठ शासन सचिव